

(ii) फोटोग्राफी की सभी शाखाओं में डार्क रूम के मैद्वान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ समाचार मुविध्राओं और रंगीन फोटोग्राफी सहित पांच वर्ष का अनुभव <b>वांछनीय:-</b> (i) डिप्लोमा या डिप्लोमा मिनेमा मोशन पिक्चर में फोटोग्राफी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष और (ii) मोशन पिक्चर फोटोग्राफी का अनुभव।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<b>पदोन्नति:-</b> मैट्रिक्स वेतन में स्तर 5 (29,200-92,300/- रुपये) में फोटोग्राफर में नियमित आधार पर उम्र नियुक्ति के पश्चात् की गई ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा। <b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा मार्जजनिक् क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो निम्न पद पर हों:- क(i) मूल कैडर अथवा विभाग में समान या नियमित आधार पर धारित पद अथवा। (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300/- रुपये) अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400/- रुपये) में नियमित आधार पर उम्र पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा और (ख) स्तम्भ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में डम नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, माधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे: आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण निदेशक (नजारत) दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य का एक प्रतिनिधि और निदेशक (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण	लागू नहीं होता।

[सं. के. 11011/19/2017-डीडी-II]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2018

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photographic Officer in the Delhi Development Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Photographic Officer) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**— The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**— No person,—  
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said post:  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.**— Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Photographic Officer.	01(one)	Group B.	Level-7 (Rs.44,900-1.42,400/-).	Selection post.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants and Delhi Development Authority upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	<b>Essential:-</b> (i) Higher Secondary or Matric Pass from a recognised Board or Council or equivalent; and (ii) Five years' experience in all branches of photography, including News features and colour photography with theoretical and practical knowledge of Dark Room work. <b>Desirable:-</b> (i) Degree or Diploma in Cinema Motion Picture Photography from a recognised University or Institution or equivalent; and (ii) Experience of Motion Picture photography.



					<p>Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
<p>Age- No Qualification - Yes.</p>	<p>Two years.</p>	<p>Promotion, failing which by deputation; failing both by direct recruitment.</p>	<p><b>Promotion: -</b></p> <p>From amongst Photographers in level-5 in the pay matrix (Rs.29,200- 92,300/-) with eight years regular service rendered after appointment thereto in the grade.</p> <p><b>Deputation:-</b></p> <p>Officers of the Central or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation holding :-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with eight years of service rendered after appointment on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29,200- 92,300/-) or in level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/-); and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

8/12/11

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- Commissioner (Personnel), Delhi Development Authority - Chairman; Director (Nazarat), Delhi Development Authority - Member; A representative of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member; and Director (Personnel), Delhi Development Authority - Member Secretary.	Not applicable

[No. K-11011/19/2017-DD-II]  
S.B. PRASAD, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

**सा.का.नि. 420(अ).**—केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 के उप-धारा (2) के खंड(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद की भर्ती के विधि को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

वशतें कि केन्द्रीय सरकार, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, वह आदेश द्वारा उनमें डील दे सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था किया जाना अपेक्षित हो।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	*03 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह-क	स्तर-10 (56,100-177500/-रु.)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों/डीडीए)	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नाकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो;